न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 163/2016

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र तेजपाल
2. हरफूल पुत्र तेजपाल
3. दिनेश उर्फ कैलाश पुत्र तेजपाल

समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर।

——वादीगण

बनाम

1. मांगूपुरी पुत्र दूलापूरी
2. मालुपुरी पुत्र दूलापुरी
3. श्योजीपुरी पुत्र रामपुरी
4. ओमप्रकाश पुत्र श्योजीपुरी
5. महेन्द्र पुत्र श्योजीपुरी
6. लिछमण पुत्र श्योजीपुरी
7. प्रहलाद पुत्र गंगापुरी
8. प्रभु पुत्र गंगापुरी
9. कालू पुत्र गंगापुरी
10. सुवा पत्नी श्योजीपुरी
11. मैना पत्नी महेन्द्र
12. राखी पत्नी लिछमण
13. शंकर पुत्र मांगूपुरी

समस्त जाजि गुसाई निवासी बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 14.10.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर मे वादीगण की कब्ज कास्त व खातेदारी की भूमि ख0न0 704/884 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.01 है0 ख0न0 716 रकबा 6.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.39 है0 स्थित है। जिसे वाद पत्र के अन्य मदो में आगे चलकर भूमि विवादग्रस्त कहा गया है।

उक्त विवादग्रस्त भूमियां सम्पूर्ण वादीगण की एक मात्र खातेदारी व कब्जे कास्त की भूमिया है। तथा उक्त भूमियों से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि के प्रतिवादीगण पश्चिमी सीमा के सींव जोड पडोसी कास्तकार है। तथा प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। तथा वादीगण की खातेदारी भूमि की पश्चिमी सीमा को तोड फोड कर जबरन अतिक्रमण करते रहते है। जिसका की प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नही है।

उक्त विवादग्रस्त का वादीगण ने तहसीलदार चौमूं के यहां सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त भूमि का पटवारी हल्का मण्डा–भिण्डा से सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2009 को किया गया। तथा मुताबिक सीमाज्ञान के आधार पर उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र उनवानी जगन्नाथ वगैराह बनाम मांगूपुरी वगैराह मुकदमा नम्बर 46/2010 की पूर्ण सूनवाइ कर न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.2011 को किया जाकर मुताबिक निर्णय अनुसार तहसीलदार चौमूं को पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये थे। तथा तहसीलदार चौमूं के अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का मण्डा भिण्डा व

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का हस्तेडा व गिरदावर हल्का द्वारा 23.05.2012 को पत्थरगढी की गई तथा मौके पर सही नाम कर पत्थर गाडे गये। तथा वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि के मुताबिक पत्थरगढी अनुसार चारों तरफ लोहे के तारो से तारबन्दी की गई थी। तथा वादीगण ने उक्त भूमि में बाजरे की फसल बो रखी है। तथा वादीगण हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर कास्त करते चले आ रहे है। व लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है।

प्रतिवादीगण जो कि संख्या में अधिक होने से वादीगण से रंजिश रखते है तथा वादीगण को कास्त कार्य करने व वादीगण की पश्चिमी सीमा पर लगी तारबन्दी को भूमी पर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से दिनांक 04.07.2014 को पश्चिमी सीमा पर लगी तारबन्दी को व पत्थरो को उखाडकर चौरी की नियत से प्रतिवादीगण ले गये। व तारबन्दी को खुर्द बुर्द कर दी गई। जिसकी जानकारी होने पर वादीगण के पिता द्वारा दिनांक 05.07.2014 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध रिपोर्ट थाना गोविन्दगढ में दर्ज करवायी। जिस पर मुकदमा नम्बर 223/2014 धारा 143, 447, 434, 379, भा0द0स0 का दर्ज होने पर तफतीश दी गई जांच अधिकारी द्वारा जांच उक्त मुकदमे में धारा 447 भा0द0स0 में न्यायालय श्रीमान् ए0एम0जे0एम कोर्ट चौमूं में चालान पेश किया गया लेकिन उक्त चालान प्रतिवादी संख्या 1 मांगूपुरी व प्रतिवादीगण संख्या 2 मालुपुरी के विरूद्ध पेश किया गया। जो विचाराधिन चल रहा है।

वादीगण का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध कावावे की प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 भूमि विवादग्रस्त के वादीगण के कब्जे कास्त व उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नही करे ना ही वादीगण की खातेदारी भूमि की पश्चिमी सीमा को तोड फोड व अतिक्रमण करे, ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल करे ना ही वादीगण की लगी पश्चिमी सीमा की तारबन्दी को नष्ट भष्ट करे ना ही उक्त कार्यवााही स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सरवेन्ट व वर्कमैन से करवावे। तथा मुताबिक आदेशानुसार की गई पत्थरगढी दिनांक 23.'05.2012 की स्थिति अनुसार मौका स्थिति बहाल करवायी जावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य दादरसी जो हित कर वादीगण हो एवं न्यायालय श्रीमान उचित समझे अता फरमायी जावें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। परिवादीगण बावजुद तलबी अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 704/884 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.01 है0 ख0न0 716 रकबा 6.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.39 है0 ग्राम बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 163 / 2016

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र तेजपाल
2. हरफूल पुत्र तेजपाल
3. दिनेश उर्फ कैलाश पुत्र तेजपाल

समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर।

––वादीगण

बनाम

1. मांगूपुरी पुत्र दूलापूरी
2. मालुपुरी पुत्र दूलापुरी
3. श्योजीपुरी पुत्र रामपुरी
4. ओमप्रकाश पुत्र श्योजीपुरी
5. महेन्द्र पुत्र श्योजीपुरी
6. लिछमण पुत्र श्योजीपुरी
7. प्रहलाद पुत्र गंगापुरी
8. प्रभु पुत्र गंगापुरी
9. कालू पुत्र गंगापुरी
10. सुवा पत्नी श्योजीपुरी
11. मैना पत्नी महेन्द्र
12. राखी पत्नी लिछमण
13. शंकर पुत्र मांगूपुरी

समस्त जाजि गुसाई निवासी बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 704 / 884 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.01 है0 ख0न0 716 रकबा 6.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.39 है0 ग्राम बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 16.12.2019 को जारी किया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मोहर

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.05 12:31:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: